राजस्थान सरकार

वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक प.15 (5) विमा. /2022 जयपुर, दिनांक 28/08/2024

आज्ञा

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को नकदी (DBT) एवं गैर-नकदी लाभ यथा Scooty, Laptop, Cycle, कृषि उपकरण, विशेष योग्यजनों के उपकरण आदि प्रदान किए जाते हैं।

गैर-नकदी लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने, कार्य में गुणवत्ता लाने एवं लाभार्थियों को empower किये जाने के उद्देश्य से ई-रूपी वाउचर का विकल्प उपलब्ध कराते हुए ऐसी सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले विभागों के लिए इस अनुभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 14.06.2022 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गए।

कतिपय विभागों द्वारा चयनित लाभार्थियों को गैर-नकदी लाभ यथा - Scooty, Laptop, Cycle, कृषि उपकरण, विशेष योग्यजन के उपकरण ई-रूपी वाउचर योजना के माध्यम से वितरित किये जाने में व्यवहारगत व प्रक्रियात्मक कठिनाइयों से अवगत कराते हुए ई-रूपी वाउचर योजना में शिथिलता हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाये जाने पर विभागों के चयनित लाभार्थियों को गैर-नकदी लाभ समय पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से ई-रूपी वाउचर के माध्यम से इन्हें वितरित किये जाने में दिनांक 30.06.2024 तक सामान्य शिथिलता प्रदान की गई थी।

विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया / फीडबैक को ध्यान में रखते हुए पूर्व में जारी आदेशों के अतिक्रमण में विभिन्न योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को नकदी एवं गैर-नकदी लाभ जारी किये जाने हेतु निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. नकदी लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रत्यक्ष हस्तांतरण (DBT) के लिए विभागीय IT platform के साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के DBT engine अथवा आधार आधारित IFMS सुविधा अथवा IFMS के विकसित किए जा रहे e-Wallet का उपयोग किया जाएगा।
2. राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को गैर-नकदी लाभ वितरित कराए जाने के लिए क्रियान्वयन विभाग ई-रूपी वाउचर अथवा उपापन उपरांत वस्तु रूप में (in kind) सामग्री वितरित किये जाने के विकल्प का चयन कर सकेगें। कार्य की वित्तीय स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में उपरोक्त में से चुने गए विकल्प का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाएगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

23/8/24

(देबाशीष पृष्टी)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

Room No. 5141, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227468 www. finance.rajasthan.gov.in E-mail - dswm@rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अति.मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीया / माननीय उपमुख्यमंत्री वित्त / पी., राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
8. समस्त विभागाध्यक्ष / संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।

(पवन जैमन)
संयुक्त शासन सचिव